10
अध्याय

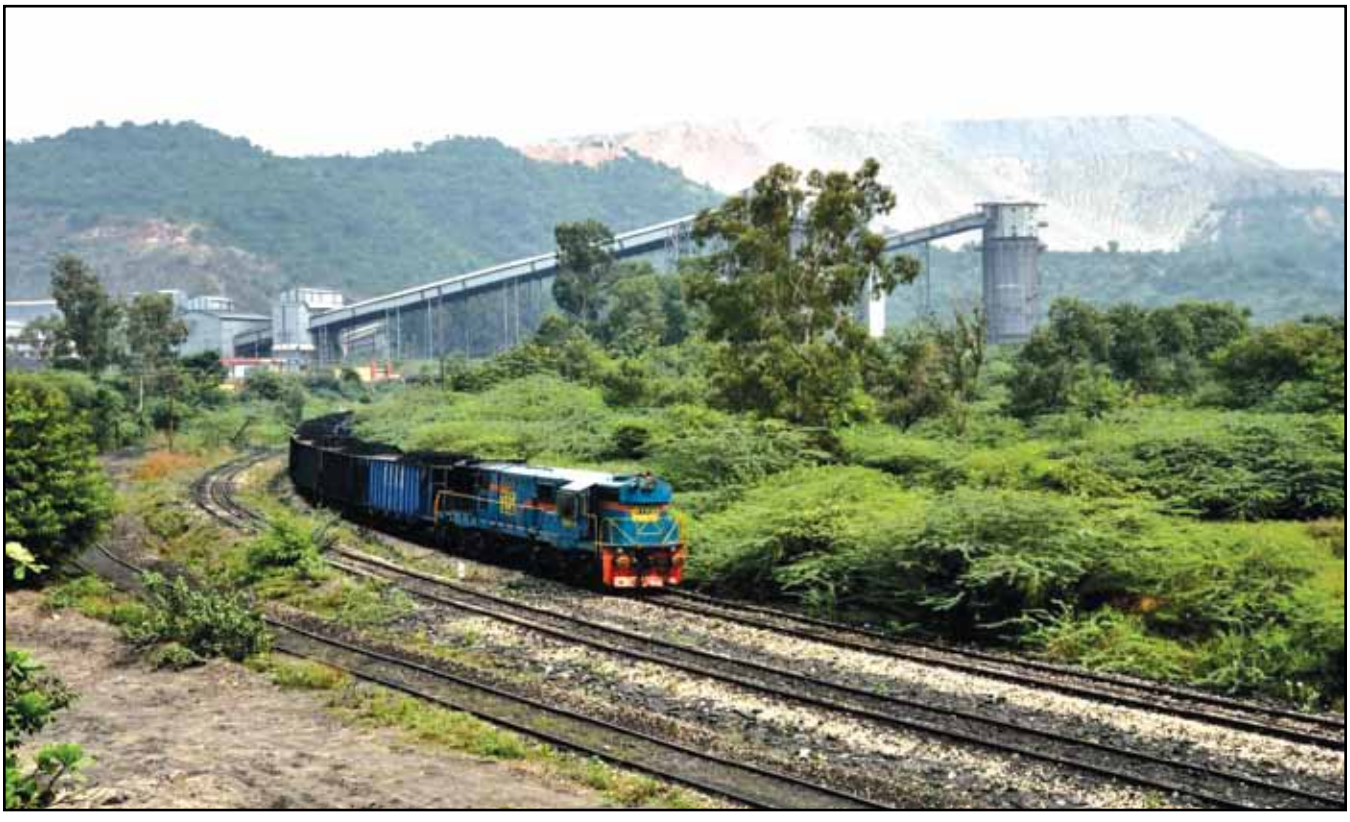

कोयला वितरण एवं विपणन

कोयला वितरण एवं विपणन

1. विद्युत,सीमेंट तथा इस्पात संयंत्रों को कोयले का आबंटन

इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोल का आबंटन इससे पहले कोयला नियंत्रक द्वारा किया जाता था। तथापि, कोकिंग कोल को नियंत्रण मुक्त करने के बाद कोयला कंपनियों द्वारा कच्चे कोकिंग कोल और वॉश्ड कोकिंग कोल की आपूर्ति सरकारी इस्पात संयंत्रों को उनकी मौजूदा एमओयू वचनबद्धताओं के आधार पर की जाती है। लिंकेज़ नीलामी को शुरू करने के बाद कच्चे कोकिंग कोल का आवंटन लिंकेज़ नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है।

2. कोल इंडिया लिमिटेड से क्षेत्र–वार कोयले का उठान (अनंतिम)

जनवरी, 22– दिसम्बर, 22 तक की अवधि के दौरान सीआईएल से क्षेत्र–वार कोयले का उठान निम्नानुसार है:–

(आंकड़े मिलियन टन)

क्षेत्र	एएपी लक्षित उठान	वास्तविक उठान	लक्ष्य की तुलना में आपूर्ति :
इस्पात*	8.8	5.9	68%
विद्युत (यूटिलिटीज)**	561.2	581.8	104%
कैप्टिव पावर***	32.6	33.3	102%
सीमेंट	4.5	3.2	72%
स्पांज आयरन	9.1	7.3	80%
अन्य	91.8	56.4	61%
कुल प्रेषण	708.0	687.9	97%
कोलियरी खपत	0.2	0.2	100%
कुल	**708.2**	**688.1**	**97%**

*: इसमें वॉशरियों को दिया गया कोकिंग कोल, तथा इस्पात संयंत्रों को की गई प्रत्यक्ष तथा मिश्रित आपूर्ति शामिल है।

**: परिष्करण के लिए वॉशरी और बीना डिशेलिंग संयंत्र को दिया गया नान कोकिंग कोयला तथा विद्युत क्षेत्र को विशेष फारवर्ड ई–नीलामी इसमें शामिल है।

***: कैप्टिव पावर जिसमें उर्वरक क्षेत्र को प्रेषण शामिल है।

3. एससीसीएल से क्षेत्र–वार कोयले का उठान:

वर्ष 2022 के दौरान एससीसीएल से क्षेत्र–वार कोयले का उठान निम्नानुसार है:–

(मि. ट. में)

क्षेत्र	एएपी लक्षित उठान (अप्रैल 22 से मार्च 23)	वास्तविक उठान (अप्रैल–दिसम्बर, 2022)	लक्ष्य की तुलना में आपूर्ति %
विद्युत (यूटिलिटी)	57.00	39.05	68.51
विद्युत (सीपीपी)	3.60	2.00	55.56
सीमेंट	3.10	2.27	73.23
स्पंज आयरन/सीडीआई	0.40	0.28	70.00
अन्य	5.90	3.68	62.37
कुल :एससीसीएल	**70.00**	**47.28**	**67.54**

4. विद्युत गृहः

कोल इंडिया लिमिटेड

सीआईएल से जनवरी, 2022 – दिसम्बर, 2022 तक की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले का उठान 581.8 मि.ट. था। कच्चे कोयले के प्रेषण में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 12.6: की वृद्धि के साथ लगभग 64.9 मि. ट. की बढ़ोतरी हुई।

एससीसीएल

तापीय विद्युत स्टेशनों को कोयले का वास्तविक उठान जनवरी, 21 से दिसम्बर, 21 के दौरान 53.98 मि.ट. की तुलना में जनवरी, 22 से दिसम्बर, 22 के दौरान 52.75 मि.ट. हो गया है।

5. सीमेंट संयंत्रः

कोल इंडिया लिमिटेड

जनवरी, 22 से दिसम्बर, 2022 की अवधि के दौरान सीआईएल से सीमेंट संयंत्रों को प्रेषण पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 3.7 मि. ट. की तुलना में 3.2 मिलियन टन (अनंतिम) था। गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रेषण में 13% की कमी के साथ 0.5 मिलियन टन तक कमी हुई है।

एससीसीएल

सीमेंट संयंत्रों द्वारा कोयले का वास्तविक उठान जनवरी, 21 से दिसम्बर, 21 के दौरान 2.99 मि.ट. की तुलना में जनवरी, 22 से दिसम्बर, 22 के दौरान 3.15 मि.ट. हो गया।

6. लघु, मध्यम तथा अन्य उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण :

लघु, मध्यम तथा अन्य उपभोक्ताओं (जिनकी आवश्यकता प्रति वर्ष 10,000 टन से कम है) को कोयले की आपूर्ति के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित एजेंसियों को आबंटन हेतु एनसीडीपी के अनुसार 8 मि.ट. मात्रा निर्धारित की गई है।

30 नवम्बर, 2022 तक, 1.25 मि.ट. की मात्रा के लिए जनवरी 22 से दिसम्बर 22 की अवधि के लिए 13 राज्यों के 13 एसएनए (राज्य नामित एजेंसियों) को आवंटन किया गया है जिनमें से 5 राज्य एजेंसियों ने कुल 0.25 मि.ट. मात्रा के लिए एफएसए पर हस्ताक्षर किए हैं।

7. कोयले की ई–नीलामी

कोल इंडिया लिमिटेडः एनसीडीपी प्रावधान के अनुसार कोयले की बिक्री बाजार निर्धारित मूल्य पर इलैक्ट्रोनिक नीलामी (ई–नीलामी) रूट के जरिए नियमित आधार पर की जा रही है। सीसीईए (आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति) ने अपनी दिनांक 26.02.2022 की बैठक में ई–नीलामी की मौजूदा पांच विंडो अर्थात स्पॉट, स्पेश स्पॉट, आयातकों के लिए स्पेशल स्पॉट, विद्युत के लिए स्पेशल फॉरवर्ड तथा गैर–विद्युत के लिए विशिष्ट ई–नीलामी को जोड़कर सिंगल विंडो मोड एगनोस्टिक ई–नीलामी के लिए नए कार्यतंत्र को अनुमोदन दिया। सीसीईए के निर्णय से कोयला मंत्रालय द्वारा परिपत्र सं.सीपीडी 23011/18/2021–सीपीडी दिनांक 21.03.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया।

नए एकीकृत ई–नीलामी कार्यतंत्र की शुरूआत के अनुसरण में, सीआईएल इस वित्त वर्ष के दौरान केवल स्पॉट ई–नीलामी विंडों के माध्यम से ही कोयले की पेशकश कर रहा है। इस बीच, सिंगल विंडो मोड एगनोस्टिक ई–नीलामी और संबंधित स्कीम अर्थात् 'सीआईएल ई–नीलामी स्कीम 2022' के लिए सीआईएल द्वारा तौर–तरीके विकसित किए गए हैं और पब्लिक डोमेन में अधिसूचित किए गए हैं। ग्राहकों को ई–नीलामी के नए तौर–तरीकों के बारे में बताने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा ग्राहक जागरूकता कवायद शुरू की गई है।

वर्तमान में सक्रिय ई–नीलामी स्कीमों तथा इनकी स्थिति का सार निम्नानुसार हैः–

- स्पॉट ई–नीलामीः इस योजना के अंतर्गत, कोई भी भारतीय खरीदार अपनी स्वयं की खपत या ट्रेडिंग के लिए सरल और पारदर्शी ढंग से उपभोक्ता अनुकूल सिंगल विंडो के माध्यम से कोयला खरीद सकता है। स्पॉट ई–नीलामी नवंबर, 2007 से चल रही है।

स्थितिः अप्रैल–सितम्बर 22 की अवधि के दौरान, अधिसूचित मूल्य पर 288% के औसत प्रीमियम के साथ इस विंडो के माध्यम से कोयले की कुल 36.03 मि.ट. मात्रा बुक की गई है।

- **सिंगल विंडो मोड एगनोस्टिक ई–नीलामीः** कोयले की पेशकश ई–नीलामी विंडो के माध्यम से की जाती है जिससे व्यापारियों सहित सभी क्षेत्रों अर्थात विद्युत

क्षेत्र, गैर–विनियमित क्षेत्र की आवश्यकता पूरी होगी। पेशकश किया गया कोयला परिवहन मोड एगनोस्टिक होगा जिसमें रेल मोड का डिफॉल्ट विकल्प भी होगा। तथापि, उपभोक्ताओं द्वारा अपनी पसंद तथा उपयुक्तता के आधार पर सड़क मोड/अन्य मोड के जरिए कोयला उठाया जा सकता है।

स्थिति: सिंगल विंडो मोड एगनोस्टिक ई–नीलामी कार्यतंत्र के कार्यान्वयन की दिशा में पहले कदम के रूप में दिसम्बर, 22 के दौरान सिंगल विंडो मोड एगनोस्टिक ई–नीलामी के तहत ईसीएल में प्रायोगिक नीलामी को सफलतापूर्वक पूरा किया गया जिसमें अधिसूचित मूल्य पर 218% के औसत प्रीमियम पर 0.19 मि.ट. की बुकिंग की गई।

8. वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2021–22 (नवंबर, 21 तक) के दौरान आयोजित नीलामी निम्नानुसार है:

नीलामी	स्पॉट	सिंगल विंडो मोड एगनोस्टिक	कुल
2022–23 (अप्रैल–दिसम्बर, 22)			
कुल आवंटित मात्रा (मिलियन टन में)	36.03	0.19	36.22
कुल अधिसूचित मूल्य (करोड़ रुपए में)	6045	62	6107
कुल बुकिंग मूल्य (करोड़ रुपए में)	23454	198	23652
अधिसूचित मूल्य पर वृद्धि (% में)	288%	218%	287%

नीलामी	स्पॉट	विशेष फॉरवर्ड	विशिष्ट गैर विद्युत	विशेष स्पॉट	कोयला आयातकों के लिए विशेष स्पॉट	कुल
2021–22 (अप्रैल–दिसम्बर, 21)						
आवंटित मात्रा (मिलियन टन में)	23.8	29.5	25.3	2.9	2.3	83.7
अधिसूचित मूल्य (करोड़ रुपए में)	3732	2732	3048	404	490	10407
बुकिंग मूल्य (करोड़ रुपए में)	6776	3728	4469	732	737	16444
अधिसूचित मूल्य पर वृद्धि (% में)	82%	36%	47%	81%	50%	58%

09. एससीसीएल में कोयले की ई–नीलामी:

एससीसीएल ने कोयले की स्पॉट ई–नीलामी दिसंबर, 2007 में शुरू की थी। वर्ष 2021–22 और 2022–23 (दिसम्बर, 22 तक) आयोजित स्पॉट ई–नीलामी इस प्रकार हैं:

स्पॉट ई–नीलामी	2021–22	2022–23 (अप्रैल–से दिसम्बर, 22 तक)
आवंटित कुल मात्रा (मि.ट. में)	3.057	1.78
कुल अधिसूचित मूल्य (करोड़ रुपये में)	875.51	543.32
कुल बुकिंग मूल्य (करोड़ रुपए में)	1184.09	911.77
अधिसूचित मूल्य पर वृद्धि (% में)	35	68

10. परिवहन के साधन

कोल इंडिया लिमिटेड

सीआईएल में कोयले और कोयला उत्पादों के परिवहन के महत्वपूर्ण साधन रेलवे, सड़क, मैरीगोराउंड सिस्टम (एमजीआर), कन्वेयर बैल्ट और मल्टी मॉडल रेलसहसमुद्री मार्ग हैं। जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 के दौरान कोयला और कोयला उत्पादों की कुल ढुलाई में परिवहन के इन साधनों का अनुमानित योगदान नीचे दर्शाया गया है :

क्र.सं.	परिवहन के साधन	शेयर%
1	रेलवे (रेलवे सह समुद्र सहित)	53
2	सड़क	30
3	एमजीआर	15
4	बैल्ट–कन्वेअर्स/रोपवेज	2

एससीसीएल

एससीसीएल में कोयले की ढुलाई के महत्वपूर्ण माध्यम रेलवे, सड़क, एनटीपीसी मैरी–गो–राउंड सिस्टम (एमजीआर) है। एरियल रोपवे द्वारा हेवी वाटर प्लांट के लिए कम कोयले की ढुलाई की जा रही है। जनवरी–दिसम्बर, 2022 के दौरान कोयले की कुल ढुलाई में ढुलाई के इन माध्यमों के योगदान का अनुमानित ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	माध्यम	मात्रा मिलियन टन में	शेयर (%)
1	रेलवे (आरसीआर सहित)	42.55	65.83
2	सड़क	14.30	22.12
3	एमजीआर	0.59	0.91
4	रोप	7.20	11.14
	कुल	**64.64**	**100.00**

11. नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अंतर्गत हुई प्रगतिः

अक्टूबर, 2007 में नई कोयला वितरण नीति लागू होने से पहले, उपभोक्ताओं को मोटे तौर पर दो श्रेणियों, कोर और नॉन–कोर सेक्टर में वर्गीकृत किया गया था। उपभोक्ताओं को पहले वर्गीकृत करने का आधार पूरी तरह से आर्थिक विकास में उनकी भूमिका पर आधारित था। तथापि, नई कोयला वितरण नीति के तहत उपभोक्ताओं के पूर्ववर्ती वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है।

इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र/उपभोक्ता से मेरिट के आधार पर तथा उनके लिए लागू विनियामक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए बातचीत की जाती है।

विद्युत, सीमेंट एवं स्पांज आयरन क्षेत्र के लिए स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधिक) को उनकी कोयले की आवश्यकता के बारे में संस्तुति करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। ऐसी संस्तुति के आधार पर सीआईएल में आश्वासन पत्र संबंधी समिति (सीएलओए) कोयले की मात्रा का कंपनी–वार आबंटन जारी करती है। कोयला कंपनियां आश्वासन पत्र जारी करती हैं जिसमें कोयला आपूर्ति हेतु ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के निष्पादन हेतु पात्र होने के लिए एलओए धारक को निर्धारित अवधि के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य दिए गए होते हैं। वर्तमान सभी वैध उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति को विधिक रूप से सुलभ ईंधन आपूर्ति करार के अंतर्गत लाया गया है।

एनसीडीपी के प्रावधानों के कार्यान्वयन में सीआईएल द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क. उपरोक्त के अलावा, लगभग 14 मि.ट. के एसीक्यू के लिए 23 सीपीएसयू इकाइयों का लिंकेज विद्यमान है जो एनआरएस नीति दिनांक 15.2.2016 के अनुसार पांच (5) वर्ष के आधार पर नवीकरणीय है।

ख. कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान एनसीडीपी पद्धति के तहत गैर–विद्युत क्षेत्र के लिए कोई नया एफएसए निष्पादित नहीं किया गया है। तथापि, गैर–विनियमित क्षेत्र के लिए कोल लिंकेज/एलओए की नीलामी के तहत निष्पादित एफएसए एनआरएस लिंकेज नीलामी पॉलिसी के तहत अलग से दिए गए हैं।

ग. विद्युत सेक्टर के लिए, 2009 से पूर्व टीपीपी के तहत 105 एफएसए आज की तारीख में मान्य हैं।

घ. राष्ट्रपति के दिनांक 17.07.2013 के निर्देशों के अनुसार,सीआईएल को 78535 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 173 टीपीपी के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर करने थे, इनमें से 24 मामले टैपरिंग लिंकेजिस के तहत कवर किए गए थे, जो अब अस्तित्व में नहीं हैं।

ङ. एनसीडीपी विद्युत संयंत्रों के बाद मान्य एफएसए की संख्या 134 है, जिनकी कुल क्षमता 218 मि.ट. की वार्षिक संविदाकृत मात्रा (एसीक्यू) के लिए 61505 मे. वा. है।

12. एनसीडीपी के अलावा नई नीतियां

गैर–नियमित क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए लिंकेज नीलामी

सीआईएल कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 15.02.2016 के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–नियमित क्षेत्र के तहत स्पॉन्ज आयरन, सीमेंट, सीपीपी, 'अन्य (नॉन–कोकिंग)', इस्पात (कोकिंग) और 'अन्य (कोकिंग)' उप–क्षेत्रों के लिए कोल लिंकेज की नीलामी करती आ रही है। नीलामी के पांच चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं जिसके द्वारा गैर–विद्युत अधिसूचित मूल्य पर लगभग 20% के औसत प्रीमियम पर 131.2 एमटीपीए वार्षिक कोयला लिंकेज बुक किए गए है।

पांच दौर में बुक की गई मात्रा निम्नानुसार है:–

उप–क्षेत्र	दौर I	दौर II	दौर III	दौर IV	दौर V	कुल
इस्पात (कोकिंग)	--	0.22	0.00	0.65	1.30	2.17
स्पंज आयरन	2.05	4.29	2.54	6.37	4.19	19.43
सीमेंट	0.68	0.77	0.12	4.26	2.95	8.78
सीपीपी	18.07	8.18	4.59	15.90	38.33	85.08
अन्य	1.34	1.27	0.67	6.00	2.89	12.17
अन्य (कोकिंग)	--	0.04	0.36	2.17	1.00	3.57
कुल	**22.14**	**14.76**	**8.28**	**35.35**	**50.66**	**131.19**

शक्ति के तहत विद्युत क्षेत्र को कोयला लिंकेज

सरकार ने मौजूदा आश्वासन पत्र (एलओए) – ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पद्धति को खत्म करने की मंजूरी दी और स्कीम फोर हारनेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया (शक्ति), 2017 की शुरुआत की, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 22.05.2017 को जारी किया गया था। सरकार ने शक्ति नीति, 2017 में संशोधन को भी मंजूरी दी, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.03.2019 को जारी किया गया था। शक्ति नीति की मुख्य विशेषताएं (जैसा कि इसके विभिन्न पैराओं के अंतर्गत विवरण दिया गया है) इस प्रकार हैं:

फिलहाल, नीति के विभिन्न पैराओं के तहत निम्नलिखित रूपों में कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है: (01.01.23 तक की स्थिति के अनुसार)

(i) शक्ति नीति के पैरा क(i) के प्रावधानों के तहत 8210 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 9 एलओए धारकों को ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई है।

(ii) शक्ति नीति के पैरा ख(i) के प्रावधानों के तहत 22 ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को 22540 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए लिंकेज प्रदान किया गया है।

(iii) शक्ति नीति के पैरा ख(पप) के तहत लिंकेज नीलामी के चार दौर आयोजित किए जा चुके हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

- पहला दौर सितंबर, 2017 में आयोजित किया गया था, जिसमें दस सफल बोलीदाताओं द्वारा 27.18 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) लिंकेज बुक किया गया था।

- मई, 2019 में आयोजित दूसरे दौर में, आठ सफल बोलीदाताओं द्वारा 2.97 एमटीपीए लिंकेज बुक किया गया था।
- मई, 2020 के दौरान तीसरा दौर पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा आयोजित किया गया था, जहां 5 सफल बोलीदाताओं द्वारा 2.8 एमटीपीए लिंकेज बुक किया गया था।
- पीएफसीसीएल द्वारा सितंबर, 2021 में चौथा दौर आयोजित किया गया था, जहां 5 सफल बोलीदाताओं द्वारा 3.20 एमटीपीए लिंकेज बुक किए गए थे।

(iv) शक्ति नीति के पैरा ख(पपप) के तहत लिंकेज नीलामी के तीन दौर पूरे हो चुके हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

- फरवरी, 2020 में पहला दौर आयोजित किया गया था, जहां 11.8 एमटीपीए की पेशकश में से, 7 सफल बोलीदाताओं द्वारा 6.48 एमटीपीए मात्रा बुक की गई थी।
- दूसरा दौर मई, 2022 में आयोजित किया गया था, जिसमें 9.00 एमटीपीए की पेश की गई मात्रा की तुलना में, 8 सफल बोलीदाताओं द्वारा 6.42 एमटीपीए मात्रा बुक की गई थी।
- तीसरा दौर सितम्बर, 2022 में आयोजित किया गया था जिसमें 5.10 एमटीपीए मात्रा की तुलना में, 5 सफल बोलीदाताओं द्वारा 5.10 एमटीपीए मात्रा बुक की गई थी।

(v) शक्ति नीति के ख(iv) के तहत लिंकेज के लिए सीआईएल से गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों के लिए क्रमशः 4000 मेगावाट, 3000 मेगावाट की क्षमता हेतु कोयला लिंकेज निर्धारित किया गया है।

(vi) शक्ति नीति के ख(v) के तहत लिंकेज के लिए 4500 मेगावाट की क्षमता के लिए सीआईएल से कोयला लिंकेज निर्धारित किया गया है।

(vii) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शक्ति नीति के ख(viii) (क) के तहत लिंकेज नीलामी के 11 दौर का आयोजित किए जा चुके हैं। कोयले की पेश की गई कुल 58.37 मि.ट. मात्रा में से, सफल बोलीदाताओं द्वारा 23.71 मि.ट. की बुकिंग की गई है।

सिंगल विंडो मोड एगनोस्टिक ई–नीलामी नीतिः

सीसीईए (आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति) ने अपनी दिनांक 26.02.2022 की बैठक में ई–नीलामी की मौजूदा पांच विंडो अर्थात स्पॉट, स्पेशल स्पॉट, आयातकों के लिए स्पेशल स्पॉट, विद्युत के लिए स्पेशल फॉरवर्ड तथा गैर–विद्युत के लिए विशिष्ट ई–नीलामी के लिए नए कार्यतंत्र को अनुमोदन दिया। सीसीईए के निर्णय से कोयला मंत्रालय द्वारा परिपत्र सं.सीपीडी23011/18/2021–सीपीडी दिनांक 21.03.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया।

इस कार्यतंत्र के तहत, कोयले की पेशकश एक ई–नीलामी विंडो के माध्यम से की जाएगी जिससे व्यापारियों सहित सभी क्षेत्रों अर्थात विद्युत क्षेत्र, गैर–विनियमित क्षेत्र की आवश्यकता पूरी होगी। पेशकश किया गया कोयला परिवहन मोड एगनोस्टिक होगा जिसमें रेल मोड का डिफॉल्ट विकल्प भी होगा। तथापि, उपभोक्ताओं द्वारा अपनी पसंद तथा उपयुक्तता के आधार पर सड़क मोड/अन्य मोड के जरिए कोयला उठाया जा सकता है।

13. आयात प्रतिस्थापन

कोयला आयात प्रतिस्थातपन के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर–मंत्रालीय समिति (आईएमसी) गठित की गई थी। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियां और बंदरगाहों के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। आईएमसी की अब तक 9 बैठकें हो चुकी हैं। आईएमसी के निर्देश पर, कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डेटा सिस्टम विकसित किया गया है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात पर नजर रख सके। कोयले की और अधिक घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोयला आयात प्रतिस्थापन के कार्य को अगले स्तर तक ले

जाने के लिए, कोल इंडिया लिमिटेड को 2023–24 तक शून्य कोयला आयात मिशन की योजना बनाने के लिए कहा गया है। इस प्रकार, पूरे प्रतिस्थापन योग्य आयातित कोयले की पूर्ति देश द्वारा की जानी चाहिए और अति आवश्यक को छोड़कर कोई आयात नहीं होना चाहिए।

आयात प्रतिस्थापन की दिशा में सीआईएल द्वारा उठाए गए कदमः

सीआईएल ने उपभोक्ताओं को घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ाने और कोयले के आयात को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपायों को लागू किया है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू कोयले पर निर्भरता से 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

i. विद्युत संयंत्रों के लिए एसीक्यू में मानक आवश्यकता को 90% से बढ़ाकर 100% करना = 14 मि.ट.। जिनमें से आज की तारीख तक लगभग 10 एमटीपीए के लिए एफएसए में संशोधन किया जा चुका है।

ii. तटीय विद्युत संयंत्रों के लिए एसीक्यू में मानक आवश्यकता को 70% से बढ़ाकर 100% करना = 3.372 मि.ट.। जिनमें से आज की तारीख तक लगभग 2.27 एमटीपीए के लिए एफएसए में संशोधन किया जा चुका है।

iii. यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए आपूर्ति के न्यूनतम सुनिश्चित स्तर को वार्षिक अनुबंध मात्रा (एसीक्यू) के 75% से बढ़ाकर 80% किया जाए ताकि प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) के उच्च स्तरों तथा और अधिक कोयले की आवश्यकता पर काम करते हुए विद्युत संयंत्रों द्वारा घरेलू कोयला का उच्च स्तर प्राप्त किया जा सके।

iv. रेल से सड़क मार्ग में परिवर्तन के लिए उपभोक्ताओं के लिए लचीलापन। उन उपभोक्ताओं को सहमति प्रदान की गई है जिन्होंने ढुलाई के लिए रेल से सड़क मार्ग पर शिफ्ट होने की मांग की है।

10–15 वर्षों की अवधि तक एफएसए की बढ़ी हुई अवधि से लिंकेज नीलामी के तहत इस्पात क्षेत्र को दीर्घावधि के आधार पर कोकिंग कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

14. कोयला उपभोक्ता परिषद

सीआईएल ने केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को अपनाया है जिसे राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में सीपीजीआरएएमएस के पीजी पोर्टल का उपयोग शिकायतों की प्राप्ति और निपटान के लिए सिंगल विंडो के रूप में किया जाता है। नोडल अधिकारियों की सूची और उनके संपर्क ब्यौरे के साथ वेब साइट में पीजी पोर्टल के लिए लिंक प्रदान किया गया है। शीघ्र प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारियों को शामिल करते हुए एक वॉट्सऐप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें मुद्दों और प्रस्तावित समाधानों पर चर्चा की जा सकती है। प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को शामिल करते हुए शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) द्वारा शिकायतों और इनके उत्तर की निगरानी/समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। बिना किसी देरी के शिकायतों का निवारण करने के लिए कार्रवाई की जाती है और इसके परिणाम को पोर्टल में पोस्ट किया जाता है। जहां कहीं भी अंतरिम उत्तर अपेक्षित होता है, ऐसा उत्तर शिकायतकर्ता को भी भेजा जाता है।

कोयला कंपनियों से संबधित शिकायतों के मामले में, नोडल अधिकारी इन्हें संबंधित कोयला कंपनियों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने/कार्रवाई हेतु भेज देते हैं। टिप्पणियां/स्थिति प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता को उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया जाता है, इस प्रकार शिकायत को बंद किया जाता है। यदि कोई भी शिकायत सीआईएल के कुछ अन्य विभाग के कार्य से संबंधित होती हैं, तो इसे संबंधित विभाग को भेजा जाता है। इस प्रकार सीपीजीआरएएमएस के तहत प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों पर शीघ्रता और दक्षतापूर्ण तरीके से कार्रवाई करते हुए इनका निपटान किया जाता है।